95

संख्याः–1567/VI(1)/2016–03(17)/2016

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग — देहरादून दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विषयः–पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटन सर्किट/डेस्टीनेशनों/मेगा सर्किट/विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत शौचालयों हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने की प्रत्याशा में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–188/2–6–898/2016–17, दिनांक 5 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटन सर्किट/डेस्टीनेशनों/मेगा सर्किट/विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत शौचालयों हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त होने की प्रत्याशा में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरण हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, देहरादून द्वारा योजना हेतु किये गये आधिक्य व्यय के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में **डेस्टीनेशन्स एवं सर्किट हेतु अवस्थापना विकास मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 7000.00 लाख में से ₹ 380.85 लाख (₹ तीन करोड़ अस्सी लाख पचासी हजार मात्र)** (योजना हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के कोष से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि ₹ 359.63 लाख को छोड़ते हुए) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्वीकृत सम्बन्धी शासनादेश में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

(iii) योजना हेतु स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, देहरादून द्वारा किये गये कार्य हेतु दिया जायेगा।

(iv) उक्त धनराशि वन टाईम के लिए ही स्वीकृत की जायेगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

(vi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

...2

CS

(viii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(x) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

(xi) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) धनराशि व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–01–पर्यटक अवसंरचना–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पोषित योजनाएं–01–डेस्टीनेशन्स एवं सर्किट्स हेतु आवस्थापना विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–451/XXVII(2)/2016, दिनांक 31 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1609260071.....द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः–1567/VI(1)/2016–03(17)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाईजेशन, देहरादून।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
सयुंक्त सचिव।

परिशिष्ट

शासनादेश संख्या– 1567/VI(1)/2016–03(17)/2016, दिनांक 06 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना लागत	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के कोष से अवमुक्त धनराशि	निर्माण इकाई को कुल उपलब्ध करायी गयी धनराशि	निर्माण इकाई द्वारा कुल व्यय	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के प्रत्याशा में अवशेष धनराशि की मांग	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने के प्रत्याशा में अग्रेत्तर धनराशि की स्वीकृति (8–5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटन सर्किट/डेस्टिनेशनों के अन्तर्गत प्रस्तावित शौचालयों (10 स्थलों पर शौचालय) हेतु अवशेष धनराशि।	236.40	131.40	40.00	171.40	233.76	104.99	64.99
2	भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनिकीरेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट (06 स्थलों पर शौचालय) अवशेष कार्य हेतु अवशेष धनराशि।	75.26	37.64	19.89	57.53	75.26	17.73	-1.80
3	केन्द्रीय वित्त पोषित योजनान्तर्गत स्वीकृत "Construction of Sulabh Toilet Complex at Different Places in Sri Badrinath Dham in Uttarakhand" (12 स्थलों पर शौचालय) हेतु अवशेष धनराशि।	399.32	79.86	150.00	229.86	349.42	319.46	169.46
4	भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा "विशेष पैकेज" के अन्तर्गत स्वीकृत योजनओं के अन्तर्गत प्रस्तावित शौचालयो (21 स्थलों पर शौचालय) हेतु अवशेष धनराशि।	409.00	85.80	150.00	235.80	331.50	298.20	148.20
	कुल योग :–	**1119.98**	**334.70**	**359.63**	**694.59**	**989.94**	**740.38**	**380.85**

(₹ तीन करोड़ अस्सी लाख पचासी हजार मात्र)

(शैलेश बगौली)
सचिव।